प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक- 03 अप्रैल, 2019

विषयः& क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ में 02 टेक्निकल ऑफिसर (सीनियर परफ्यूजनिस्ट) के पदों को सृजित किए जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-7833/योजना/2018 दिनांक 26.10.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ हेतु टेक्निकल ऑफिसर (सीनियर परफ्यूजनिस्ट) में 02 पद को अस्थाई रूप से दिनांक 29.02.2020 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नांकित विवरण के अनुसार सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

S.No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Band and Grade Pay after implemention of 6th CPC
01	टेक्निकल ऑफिसर (सीनियर परफ्यूजनिस्ट)	02	PB-2 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600

2- चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होने की दशा में ही भरे जायेंगे।

3- चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद एम0सी0आई0 की गाइडलाइन के अनुरूप है।

4- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव का होगा। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखा शीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/402/दस-2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 36/2019/527(1)/71-2-19-के0जी0एम0यू0- 93/2011

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी लखनऊ।
5. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठां तल योजना भवन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।